न्यायालय जिला न्यायाधीश, अजमेर, जिला–अजमेर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – विक्रान्त गुप्ता, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी वाद संख्या 239/2021

भागचन्द व अन्य बनाम अक्षयसिंह व अन्य

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 33 राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998

उपस्थित

1– श्री जी.के.अग्रवाल, विद्वान अधिवक्ता, वादी की ओर से।

2– श्री मनीष शर्मा, विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 5 की ओर से।

3– श्री अजय त्रिपाठी, विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 3, 4 व 6 की ओर से।

आदेश **दिनांक–09.04.2026**

1. इस आदेश द्वारा प्रतिवादीगण की ओर से पेश किये गये प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 33 राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 दिनांकित 13.03.2026 का निस्तारण किया जा रहा है।

2. बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क पेश किये हैं कि वादी के द्वारा दस्तावेजात प्रदर्श 118 व प्रदर्श 119 दिनांक 19.08.1997 व दिनांक 30.04.2006 के हैं, को न्यायालय के समक्ष पेश किये गये हैं। वादीगण की ओर से उक्त दोनों दस्तावेजात पर प्रदर्श अंकित करते समय अधिवक्तागण के हडताल पर होने के कारण प्रतिवादीगण की ओर से उक्त दस्तावेजात पर प्रदर्श अंकित करते समय आपत्ति नहीं की जा सकी थी। उक्त दोनों दस्तावेजात पर्याप्त स्टाम्प पर अंकित नहीं है, जिन्हें इम्पाउंड करवाने का निवेदन किया।

3. उक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क पेश किये गये हैं कि प्रतिवादीगण के द्वारा पेश किया गया प्रार्थना–पत्र आज्ञापक विधि, प्रावधानों व तथ्यों के प्रतिकूल है। उक्त दोनों दस्तावेज पर प्रदर्श अंकित किये गये, उस दिन प्रतिवादीगण की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई है। वादी से जिरह भी पूर्ण हो गयी है। अतः प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली व संबंधित प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

4. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त दोनों दस्तावेजात दिनांक 17.02.2026 को प्रदर्श 118 व प्रदर्श 119 के रूप में प्रदर्शित हुए हैं। उक्त दिवस को अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवायी गयी है, इस सम्बन्ध में विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण का यह तर्क कि उस दिन अधिवक्तागण हड़ताल पर थे। तत्पश्चात इन

दोनों दस्तावेजात के संबंध में पी.डब्ल्यू 1 तरूण जैन से जिरह दिनांक 26.02.2026 पूर्ण हुई, उस दिवस को भी प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा उक्त दोनों दस्तावेजात पर प्रदर्श अंकित किये जाने के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवायी गयी है। ऐसी स्थिति में वाद के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, यह स्पष्ट है कि प्रदर्श 118 व प्रदर्श 119 दिनांक 17.02.2026 को प्रदर्शित करवाये गये हैं, जिसके संबंध में साक्ष्य के समय तथा प्रतिपरीक्षण के समय कोई आपत्ति नहीं की गई है। प्रार्थना–पत्र को इस स्तर पर अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है कि उक्त संबंध में अन्य किसी भी प्रकार का एतराज या विवाद होने पर वर वक्त बहस अंतिम सुनी जाकर विनिश्चत कर निर्धारित किया जाएगा।

5. परिणामस्वरूप प्रतिवादीगण की ओर से पेश किया गया प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 33 राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 दिनांकित 13.03.2026 उपरोक्तानुसार अस्वीकार किया जाता है।

(विक्रान्त गुप्ता)
जिला न्यायाधीश, अजमेर

6. आदेश आज दिनांक 09.04.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विक्रान्त गुप्ता)
जिला न्यायाधीश, अजमेर